

क्रम दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3
	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>(1)प्रदीप राम (2)दिलीप कुमार (3)गोपाल कुमार (4)सुनील कुमार चारों के पिता स्व0 कोल्हा राम (5)राज कुमार खानी (6)बसंत कुमार राम दोनों के पिता स्व0 परमेश्वर राम, निवास स्थान-ओकनी, थाना-सदर वर्तमान थाना-लोहसिंघना, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-खपरियावाँ, थाना नं0-119, खाता संख्या-148, प्लॉट संख्या-1754, 1755, 1760, 1761 क्रमशः रकवा-02डी0, 53डी0, 08डी0, 17डी0 कुल रकवा-80 डी0 भूमि (1)बिपिन कुमार भगत (2)उत्तम कुमार भगत (3)शेखर कुमार भगत (4)संदीप कुमार भगत चारों के पिता सुरेन्द्र भगत निवास स्थान-सुभाष नगर हुड़हुड़ रोड़, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदकों एवं प्रस्तावित क्रेताओं का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं खतियान की छायाप्रति एवं अन्य कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-80/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक-386/रा0, दिनांक-03.02.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, कटकमदाग को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के पत्रांक 290 दिनांक 14.03.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -</p> <p>क्रेता एवं विक्रेता पिछड़ी जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि आवेदकों को खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयती खाते की भूमि है। खतियानी रैयत मोहीत कहार वगै0 हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 05.73 एकड़ भूमि है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित रकवा 02.71 एकड़ है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-205/1 पर मोहीत कहार वगै0 के नाम से जमाबंदी दर्ज है। वर्ष 2022-23 तक लगान रसीद निर्गत है। जमाबंदी रैयत आवेदकों के परदादा है। आवेदकों द्वारा धारित कुल रकवा/आवेदकों के हिस्से की भूमि 01.80 एकड़ है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदक के पास रकवा-01.00 एकड़ भूमि बचेगी। आवेदकों को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ</p>	

ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदकों के दखल कब्जा में है।

प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहत्ती भी अंकित किया गया है।

अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, कटकमदाग हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में (1)प्रदीप राम (2)दिलीप कुमार (3)गोपाल कुमार (4)सुनील कुमार चारों के पिता स्व० कोल्हा राम (5)राज कुमार खानी (6)बसंत कुमार राम दोनों के पिता स्व० परमेश्वर राम, निवास स्थान-ओकनी, थाना-सदर वर्तमान थाना-लोहसिंधना, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-कटकमदाग, मौजा-खपरियावाँ, थाना नं०-119, खाता संख्या-148, प्लॉट संख्या-1754, 1755, 1760, 1761 क्रमशः रकवा-02डी०, 53डी०, 08डी०, 17डी० कुल रकवा-80 डी० भूमि (1)विपिन कुमार भगत (2)उत्तम कुमार भगत (3)शेखर कुमार भगत (4)संदीप कुमार भगत चारों के पिता सुरेन्द्र भगत निवास स्थान-सुभाप नगर हुड़हुड़ रोड़, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्ता, हजारीबाग।